

Report of the Committee
on Petition

action in Usha Dhiman
Case

metice (viii Amendment) Rules, 1992, SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, under section 38 of the Drugs and Cos-I was saying that a Joint Committee was metics Act, 1940, together with a delay formed... statement thereon.

(iv) A copy (in English and Hindi) of the you identified me first.

Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) Notifications G.S.R. No. 30(E), dated the 25th January, 1993, publishing the Corrigendum to G.S.R. No. 904(E), dated the 2nd December, 1992, regarding the Drugs and Cosmetics (vii Amendment) Rules, 1992, together with a delay statement thereon. [Placed in Library for (iii) and (iv). See No. LT-4476/93].

महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि शून्य काल शुरू होते ही गुरुदास दास गुप्ता खदे हो जाते हैं और इन्हीं का मसला सबसे गम्भीर होता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती महोदय, मैं आपकी अनुमति से शून्य काल में एक गम्भीर मसला उठाती चाहती हूँ। सहायनपुर में घटा हुआ उषा धीमान काण्ड पिछले बहुत दिनों से अखबारों की सुविधों में रहा। किसी महिला को निरवस्त्र करके अपमानित करने की यह पहली और अकेली घटना नहीं है। आये दिन इस तरह की घटनायें प्रकाश में आती हैं। लेकिन एक माहने में यह घटना अलग जरूर है कि किसी गांव के चौराहे पर या किसी शहर के मुहल्ले में यह घटना नहीं घटी है कि बरिफ़ मरे कोर्ट के प्रणय में जुद्धिसियल मजिस्ट्रेट के कमरे के सामने घटी थी और जुद्धिजीवी कहे जाने वाले वकील लोग भी मूक दर्शक बन कर देखते रहे थे। बाद में राष्ट्रीय सहायन के एक पत्रकार श्री महेश मार्गव ने हिम्मत करके इसके अखबारों में छाप। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस खबर के आधार पर इसका नोटिस लिया। स्वयं श्रीमती पटनायक सहायनपुर गई और उस महिला से जाकर गांव में मिली और उसको यहाँ बुलाकर उसकी गवाह बौरह ली। बजाय इसके कि उस काण्ड के अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही होती, उस पत्रकार को रोज घमकियां दी जा रही हैं और अपराधिक किस्म के लोग झुठों पर ताव देकर उसका पीछा करते हैं। उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा और राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने फैक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार को लिखा और गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि इस पत्रकार को अविज्ञान सुरक्षा प्रदान कराई जाय। उनके निर्देश पर डी० आई० जी० मेरठ और मंडल आयुक्त ने स्थानीय अधिकारियों को कहा कि इस पत्रकार को अविज्ञान सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन आज तक उन उम्माय बड़े अधिकारियों के आदेशों को भला बला कर कोई सुरक्षा श्री महेश मार्गव को प्रदान नहीं कराई गई है। उष् धीमान काण्ड के अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही होना तो हूर, उस पत्रकार को लिखने हिम्मत करके इस घटना को प्रकाश में लाने का काम किया उसको रोज घमकियां आ रही हैं और उसको रोज रात को टेलिफोन रिस्वीयर ट्राफ करके सोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी यह सरकार मौन बैठी हुई है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस बात के कड़े निर्देश दें कि इस तरह के बड़े अधिकारियों के आदेशों को भला बला करके स्थानीय अधिकारी अपने निहित स्वार्थों के लिए मनमानी न करें। अगर वे इस तरह से मनमानी करेंगे तो प्रशासन की किस्ती तो उड़ेगी ही उड़ेगी, प्रशासन का मकौल तो उड़ेगा ही उड़ेगा, इस तरह के अपराधियों के झोसले भी सुलाने होंगे। इसलिये मैं चाहती हूँ कि गृह मंत्री इस घटना का नोटिस लें और

REPORT OF THE DEPARTMENT-
RELATED PARLIAMENTARY
STANDING COMMITTEE ON
HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT

श्री राम शरेशा यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के कार्यक्रम के संबंध में विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी में) प्रस्तुत करता हूँ।

REPORT OF THE COMMITTEE
ON PETITIONS

श्री सुन्दर सिंह चंडारी (राज्यस्वयन): महोदय, मैं आपकी अनुमति से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त किये जाने की प्रार्थना करने वाली यशिका के संबंध में यशिका समिति का निम्नानुवेदां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) प्रस्तुत करता हूँ।

RE-DEMAND FOR TAKING IMMEDIATE
ACTION IN USHA DHIMAN CASE

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Sushma Swaraj.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam,... It is not a Zero Hour matter, Madam.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (Haryana): Madam, what is this?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is regarding what?